संसदीय कार्य मंत्रालय

बजट सत्र 2024 से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति

संसद का बजट सत्र, 2024, जो सोमवार, 22 जुलाई, 2024 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात शुक्रवार, 9 अगस्त, 2024 को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। 18वीं लोक सभा के गठन के पश्चात यह पहला बजट सत्र था तथा लोक सभा में मंगलवार, 23 जुलाई, 2024 को केंद्रीय बजट के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र का बजट प्रस्तुत किया गया।

2. बजट प्रस्तुत किए जाने के पश्चात, दोनों सदनों में केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा हुई। इस पर लोक सभा ने आबंटित 20 घंट की जगह 27 घंटे 19 मिनट और राज्य सभा ने आबंटित 20 घंटे की जगह 22 घंटे 40 मिनट चर्चा की। लोक सभा में वर्ष 2024-25 के केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के साथ-साथ वर्ष 2024-25 के लिए जम्मू-कश्मीर के बजट पर सामान्य चर्चा और जम्मू-कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित अनुदान मांगों पर भी चर्चा की गई और उन्हें पारित किया गया।

3. लोक सभा में रेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तथा मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालयों से संबंधित अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और उन्हें एक-एक करके स्वीकृत किया गया। इसके पश्चात मंत्रालयों/विभागों की शेष अनुदान मांगों को **सोमवार, 5 अगस्त, 2024 को** सदन में मतदान के लिए रखा गया। 05.08.2024 को ही लोक सभा में संबंधित विनियोग विधेयकों को पुर:स्थापित किया गया, उन पर विचार और पारित भी किया गया। वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 लोक सभा द्वारा 6 और 7 अगस्त, 2024 को विचार और पारित किया गया।

4. राज्य सभा में आवासन और शहरी कार्य, कृषि एवं किसान कल्याण तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कार्यचालन पर चर्चा की गई। राज्य सभा द्वारा वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों तथा जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों तथा वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 को दिनांक 08.08.2024 को लौटाया गया।

5. लोक सभा द्वारा दिनांक 09.08.2024 को विमान के डिजाइन, निर्माण, रखरखाव, कब्जे, उपयोग, संचालन, बिक्री, निर्यात और आयात के विनियमन और नियंत्रण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के संबंध में भारतीय वायुयान विधेयक, 2024 को पारित किया गया।

6. लोक सभा और राज्य सभा में क्रमश: 'आगामी ओलंपिक खेलों के लिए भारत की तैयारियां' और 'प्राधिकारियों की कथित लापरवाही के कारण दिल्ली में एक कोचिंग सेंटर में छात्रों की मौत की दुखद घटना' विषयों पर दो अल्पावधि चर्चाएँ की गईं।

7. लोक सभा और राज्य सभा में क्रमशः 'देश के विभिन्न भागों में भूस्खलन और बाढ़ के कारण जान-माल का नुकसान' और केरल राज्य के वायनाड जिले में विनाशकारी भूस्खलन से उत्पन्न स्थिति' विषयों पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी लिया गया।

8. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024 दिनांक 09.08.2024 को संयुक्त संसदीय समिति में जांच हेतु भेजा गया है।

9. लोक सभा/राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयकों की सूची अनुलग्नक में संलग्न है।

10. बजट सत्र, 2024 के दौरान लोक सभा की उत्पादकता लगभग **136%** और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग **118%** रही।

****

अनुलग्नक

18वीं लोक सभा के दूसरे सत्र और राज्य सभा के 265वें सत्र के दौरान निपटाया गया विधायी कार्य

I- लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
2. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
3. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024
4. आपदा प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2024
5. गोवा राज्य निर्वाचन-क्षेत्र अनुसूचित जनजाति प्रतिनिधित्व का पुन:समायोजन विधेयक, 2024
6. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
7. वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2024
8. मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024
9. बैंककारी विधियां (संशोधन) विधेयक, 2024
10. समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक, 2024
11. वहन पत्र विधेयक, 2024
12. रेल (संशोधन) विधेयक, 2024

II- राज्य सभा में पुर:स्थापित विधेयक

1. तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) संशोधन विधेयक, 2024
2. बायलर विधेयक, 2024

III- लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
3. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024
4. भारतीय वायुयान विधेयक, 2024

IV- राज्य सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024
2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024, *लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में।*
3. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

V- संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. जम्मू और कश्मीर विनियोग (संख्यांक 3) विधेयक, 2024

2. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024, *लोक सभा द्वारा पारित किए गए रूप में।*
3. वित्त (संख्यांक 2) विधेयक, 2024

VI- राज्य सभा में वापस लिया गया विधेयक

1. वक्फ संपत्ति (अप्राधिकृत अधिभोगियों की बेदखली) विधेयक, 2014

*****